



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 28/2025

दिनांक: 25.06.2025

निरीक्षक की श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री करणी सिंह देवल, निरीक्षक	कार्यग्रहण पर (प्रतिनियुक्ति से लौटने पर)	सीजीएसटी, उदयपुर

2. उपरोक्त अधिकारी को दिनांक 25.06.2025 (अपराह्न) में कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., उदयपुर।
2. सहायक विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम-कच्छ।
3. श्री करणी सिंह देवल, निरीक्षक।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।